संख्या- /2016/ 417 /पांच-1-2016-5(01)/15टी.सी.1

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः- 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के संचालन के सापेक्ष व्ययभार को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के प्राविधानित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किया जाना ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 29फ/10(21)14/323, दिनांक 16.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 187.8453 करोड में से शासनादेश संख्या-598/पांच-1-2014-9(163)/09, दिनांक 28-04-2015 द्वारा रू0 40.00 करोड, शासनादेश संख्या-1160/पांच-1-2015-9(163)/09, दिनांक 11-08-2015 द्वारा रू0 60.00 करोड, शासनादेश संख्या-1530/पांच-1-2015-9(163)/09, दिनांक 06-11-2015 द्वारा रू0 40.00 करोड एवं शासनादेश संख्या-1514/पांच-1-2015-5(01)/15 टी0सी0, दिनांक 06-11-2015 द्वारा रू0 15.00 करोड तथा शासनादेश संख्या-22/2016/418/पांच-1-2016-9(163)/09, दिनांक 21-03-2016 द्वारा रू0 32.8453 करोड की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- उपर्युक्त प्रावधानित धनराशि के अतिरिक्त संलग्न बी0एम0-9 में वर्णित बचतों के पुनर्विनियोग से रू0 4.6519 करोड का प्रावधान किया गया है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16-03-2016 के माध्यम से किये गये प्रस्ताव के क्रम में 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति -110 अस्पताल तथा औषधालय-03-108 ई0एम0टी0एस0 "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन-42-अन्य व्यय के अंतर्गत आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या 14- मोटर गाडियों का क्रय से संक्रमित धनराशि रू0-4.6519 करोड (रू0-चार करोड पैसठ लाख उन्नीस हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है। उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय व्ययक) अनुभाग के ज्ञाप दिनांक-30-03-2015 के अधीन होगी तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त के रूप में नहीं किया जायेगा और न ही स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक खाते आदि में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को नियमित रूप से प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को हस्तगत करायी जायेगी।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद मे कदापि नहीं किया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 32 के लेखा शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-(आयोजनागत)-03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-110-अस्पताल तथा औषधालय-03-108-ईएमटीएस "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन- 42 अन्य व्यय के अंतर्गत आयोजनागत मद से किया जायेगा। उक्त मद में धनराशि की व्यवस्था संलग्न बी0 एम0-9 में वर्णित बचतों से की गई हैं

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30-3-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2016/417(1)/पांच-1-2016-9(163)/09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं/ एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
11- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
12- सहायक निदेशक, सूचना, उ0प्र0 शासन।
13- कम्प्यूटर सेल प्रभारी, एन0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करायें।
14- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
15- गार्ड फाईल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।